न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या 130/2016

नक्षत्रसिंह पुत्र प्यारासिंह जाति रामगढिया निवासी कोठा तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

—अपीलार्थी

बनाम

1. निरजंनसिंह पुत्र दयालसिंह
2. चन्दसिंह पुत्र प्यारासिंह
3. जलौरसिंह पुत्र दयालसिंह
4. दलीपसिंह पुत्र सन्तासिंह
5. जगराजसिंह पुत्र सन्तासिंह

} जाति रामगढ़िया

6. चरणसिंह पुत्र केहरसिंह
7. मंगासिंह पुत्र प्रीतमसिंह

} निवासीगण कोठा तह. व जिला श्रीगंगानगर

8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार श्रीगंगानगर । —रेस्पोडेन्ट्स

अपील अर्न्तगत धारा 225 रा.का.अ. 1955

विरूद्ध आदेश उपखंड अधिकारी श्रीगंगानगर दिनांक 12.06.2015

उपस्थितिः—

श्री भजनलाल टाक अभिभाषक अपीलार्थी

श्री इकबालसिह सिद्धु, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय **दिनांक :—** 16.04.2018

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थी/रेस्पो. संख्या 1 ने एक प्रार्थना पत्र जन सुनवाई जिला श्रीगंगानगर/पंचायत समिति श्रीगंगानगर के समक्ष दिनांक 23.06.2014 को पेश कर मु0नं0 8 के कि0न0 5, 6, 15, 16, 25 में चल रहे रास्ते को मन्जूर किये जाने का निवेदन किया। प्रार्थना पत्र पेश होने पर तहसीलदार श्रीगंगानगर से रिपोर्ट प्राप्त कर दिनांक 11.07.2014 को पत्रावली दर्ज

16/4/18
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

रजिस्टर कर दूसरे पक्ष को सुनने के पश्चात रास्ता स्वीकृत किया जाना वांछित होने से दूसरे पक्ष को तलब करने के आदेश दिये। अप्रार्थी चन्दसिंह, नक्षत्रसिंह ने दिनांक 27.02.2015 को जबाब पेश कर कथन किया कि रास्ता के बदले में अप्रार्थीगण को 1 बीघा रास्ता दिलाया जावे। सुनवाई करने के पश्चात उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर ने दिनांक 12.06.2015 को प्रा.पत्र स्वीकार कर वांछित रास्ता स्वीकृत करने के आदेश दिये जिसके विरूद्ध अपीलांट ने यह अपील पेश की है।

रेस्पों. सं. 1 से 7 को रजिस्ट्रड सम्मन से तलब करने पर उनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं आने पर वकील अपीलांट एवं राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि मौका पर अपीलांट की फसल काश्त है। अपीलांट ने जमीन के बदले जमीन दिये जाने का निवेदन किया था लेकिन इस पर अधी. न्यायालय ने कोई गौर नहीं किया। अतः निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे। अपीलाधीन आदेश की जानकारी होने पर नकल प्राप्त कर बिना किसी देरी के अपील पेश कर दी जिसके लिए मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रा.पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है। अतः अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जाकर अपील अपीलांट स्वीकार की जावे।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

अपीलांट द्वारा यह अपील आदेश दिनांक 12.06.2015 के विरूद्ध दिनांक 08.02.2016 को पेश की है जिसके लिए मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रा.पत्र मय शपथ पत्र पेश कर जो तथ्य अंकित किये हैं उनका खण्डन नहीं होने से अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

16/4/18

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

अपील अधी. न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर के निर्णय दिनांक 12.06.2015 के विरूद्ध पेश की गई है जिसमें अधी. न्यायालय द्वारा रास्ता स्वीकृत किया है। रास्ते का मुआवजा किसे दिया जाएगा स्पष्ट आदेश नहीं होने से आदेश अपास्त करने का अनुतोष चाहा है।

अधी. न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अधी. न्यायालय के आदेश का क्रियात्मक भाग है कि तहसीलदार से प्राप्त रिपोर्ट मय नक्शा का अवलोकन किया। रा0का0अ0 251क के अन्तर्गत रास्ता दिलवाने के लिए डी.एल. सी. की दर का दोगुणा राशि मुआवजा के तौर पर दी जाकर रास्ता स्वीकृत किया जा सकता है। अतः तहसीलदार श्रीगंगानगर की रिपोर्ट एवं नक्शा का अध्ययन करने के पश्चात चक 3ए बडा के मु.नुं. 8 के कि.नं. 5, 6, 15, 16, 25 में चल रहे रास्ते को में 2–2 बिस्वा चौडाई में रास्ता स्वीकृत कर गैर मुमकिन घोषित किया जाता है। इसमें जालौर सिंह , दलीपसिंह , चरणसिंह , मंगासिंह की सहमति आ चुकी है शेष का प्रार्थी नियमानुसार डी.एल.सी. की दोगुणा राशि तहसील कार्यालय में जमा करवाये जाने के बाद तहसीलदार श्रीगंगानगर नियमानुसार उक्त स्वीकृत किये गये रास्ता को गैर मुमकिन दर्ज करने का इन्द्राज करें एवं नियमानुसार शेष खातेदार को भुगतान करें। यह रास्ता आम जनता के लिए सार्वजनिक होगा। अधी. न्यायालय के आदेश के सम्बन्ध में अपील मीमों की मुख्य आपत्ति बिन्दु सं. 4 में दर्शायी है कि अधी. न्यायालय ने अपने निर्णय में डी.एल.सी. की दोगुणी राशि किस खातेदार को दी जावे का कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में तहसीलदार श्रीगंगानगर की रिपोर्ट ली गई। रिपोर्ट राजस्व/18/583 दिनांक 05.04.2018 में जाहिर किया है कि जमा राशि की रिपोर्ट कोषक कार्यालय हाजा से प्राप्त की गई जिसके अनुसार उक्त प्रकरण में चक 3ए बडा के मु.नुं. 8 के कि. नं. 5, 6, 15, 16, 25 में उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर के आदेशानुसार रास्ता स्वीकृत हुआ जो राजस्व रिकार्ड में निम्नानुसार खातेदारान के नाम दर्ज है। चक 3ए बडा के मु.नुं. 8 के कि.नं. 1 से 5– 10, 11/1, 24 कुल 1.897है0 नहरी

16/4/18
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

रकबा चरणसिंह पुत्र केहरसिंह रहन आर एम जी बैंक कोठा दर्ज रिकार्ड है तथा कि.नं. 6 से 9, 11/2, 20, 21 कुल 1.645है0 नहरी रकबा मंगासिंह पुत्र प्रीतमसिंह रहन आर.एम जी बैंक कोठा दर्ज रिकार्ड है। कि.नं. 15, 25/1 कुल 1.138है0 लाभसिंह पुत्र जगराज सिंह बगैरह के नाम दर्ज है। कि.नं. 16/1, 17, 18 की कुल 0.632है0 जालौरसिंह पुत्र दिपालसिंह के नाम दर्ज है। कि.नं. 16/2, 19, 25/2, 17, 25/2 कुल 0.506है0 भूमि चंदसिंह , नक्षत्रसिंह पिसरान प्यारासिंह ब. हि.ब. दर्ज रिकार्ड है। मौका पर उक्त रकबा के कि.नं. 5, 6, 15 के लगभग 5–5 फुट रास्ता चालू है शेष रास्ता मु.नं. 8 के साथ लगते (पूर्वी दिशा में) मु.नं. 7 के कि.नं. 1, 10, 11, 20, 21 में चालू है जो रकबा सीमा सुरक्षाबल के नाम दर्ज है। उक्त रास्ता के रकबा के सम्बन्ध में कोई राशि जमा नहीं करवायी है।

पत्रावली के अवलोकन एवं तहसीलदार श्रीगंगानगर की रिपोर्ट का अध्ययन पश्चात अपील में कोई सारगर्भित सारांश नहीं होने से अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 16.04.2018 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

6/4/18

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगगांनगर